राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर राजस्थान

क्रमांकः प.7(199) परि/नियम/मु./2009/39705 जयपुर,दिनांकः 91-7-17

कार्यालय आदेश.../2017

विभाग द्वारा राजस्थान मोटर वाहन नियम,1990 के नियम 4.1 के उप–नियम (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों के तहत् विधिमान्य व्यापार प्रमाण पत्र (Trade Certificate) धारी डीलर को मोटर वाहन अधिनियम,1988 की धारा 41 के तहत् पंजीयन करने हेतु पंजीयन अधिकारी नियुक्त किया गया है। राज्य में कार्यरत ऐसे समस्त ट्रेड सर्टिफिकेट धारी डीलर जिनके द्वारा नये गैर–परिवहन यान का विक्रय जिनकी बैठक क्षमता मय वाहन चालक के 10 से अधिक नहीं हैं, को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 34/2004 (समय–समय पर यथा संशोधित) में वर्णित निबन्धनों, शर्तों और अर्हताओं (terms,conditions and qualifications) की पालना करने की शर्त पर पंजीयन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत किया गया है। इस श्रेणी में दुपहिया वाहन, 10 सीट तक के चारपहिया गैर–परिवहन यान, ट्रैक्टर, क्रेन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेन्ट व्हीकल इत्यादि है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा कार्यालय आदेश संख्या 18/2013 दिनांक 04.07.2013 जारी कर समस्त गैर–परिवहन डीलर्स को आवश्यक रूप से पंजीयन अधिकार हेतु अधिकार पत्र दिये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश प्रदान किये गये थे।

यह देखा गया है कि अभी तक काफी संख्या में ऐसे डीलर/सब–डीलर है, जिनके द्वारा अधिकृत पंजीयन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं किया जा रहा है। अतः राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 4.1 के उप–नियम (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा जनहित में गैर–परिवहन वाहनों के विक्रय हेतु व्यवसाय प्रमाण पत्र धारित करने वाले वाहन विक्रेताओं को पंजीयन अधिकारी के रूप में अधिकृत किया जाता है।

ऐसे सभी डीलर/सब–डीलर जिनके द्वारा आदिनांक तक अधिकृत पंजीयन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु अधिकार प्राप्त नहीं किया गया है, द्वारा उक्त अधिकार पत्र प्राप्त कर अधिकृत पंजीयन अधिकारी के रूप में कार्य करने संबंधी प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

1. जिला परिवहन अधिकारियों के स्तर पर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वे इस आदेश के जारी होने के 15 दिवस में उनके क्षेत्राधिकार में कार्यरत ऐसे सभी ट्रेड सर्टिफिकेटधारी डीलर/सब–डीलर जिनके द्वारा अधिकृत पंजीयन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं किया जा रहा है, के आवेदन पत्र प्राप्त कर परिवहन आयुक्त को कार्यालय आदेश 34/2004 में संलग्न परिशिष्ट–7 में वर्णित आवेदन प्रारूप में इस कार्यालय आदेश के साथ **संलग्नक**–1 में उल्लेखित दस्तावेजों सहित भिजवाया जावें। साथ ही मुख्यालय द्वारा अधिकार पत्र जारी किये जाने के 10 दिवस में ऐसे ट्रेड सर्टिफिकेट डीलर/सब–डीलर द्वारा कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित किया जावें।

   यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि गैर परिवहन वाहनों के विक्रय हेतु वर्तमान में ट्रेड सर्टिफिकेट धारित करने वाले वाहन विक्रेताओं का ट्रेड सर्टिफिकेट तब तक नवीनीकरण नहीं किया जाये जब तक की उनके द्वारा उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अधिकृत पंजीयन अधिकारी का अधिकार पत्र प्राप्त कर कार्य प्रारंभ नहीं कर दिया जावें। पंजीयन अधिकार प्राप्त न करने की स्थिति में ऐसे ट्रेड सर्टिफिकेट डीलर/सब–डीलर द्वारा विक्रय किये गये वाहनों का पंजीयन कार्यालय स्तर पर नहीं किया जावें और ना ही ऐसे ट्रेड सर्टिफिकेटधारी डीलर/सब–डीलर को जारी व्यवसाय प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जावें।

2. भविष्य में गैर परिवहन वाहनों के नये ट्रेड सर्टिफिकेटधारी डीलर/सब–डीलर को ट्रेड सर्टिफिकेट जारी करने के साथ ही अधिकृत पंजीयन अधिकारी के अधिकार पत्र जारी करवाकर कार्य प्रारंभ करने को सुनिश्चित किया जावें। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि नये ट्रेड सर्टिफिकेटधारी डीलर/सब–डीलर द्वारा विक्रय किये वाहनों का पंजीयन कार्यालय में 30 दिवस तक अथवा पंजीयन हेतु अधिकार पत्र जारी होने (जो भी पहले हो) तक ही किया जावेगा।
3. ऐसे ट्रेड सर्टिफिकेटधारी डीलर/सब–डीलर जिनके द्वारा अधिकृत पंजीयन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु अधिकार पत्र प्राप्त कर लिया गया है, किन्तु पंजीयन कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, इस स्थिति में ऐसे वाहन विक्रेताओं से इस आदेश के जारी होने के 15 दिवस में पंजीयन अधिकारी के रूप में कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित किया

जावें। इस अवधि के पश्चात् ऐसे ट्रेड सर्टिफिकेटधारी डीलर/सब-डीलर द्वारा विक्रय किये गये वाहनों का पंजीयन कार्यालय में नहीं किया जावेगा। साथ ही ट्रेड सर्टिफिकेटधारी डीलर/सब-डीलर को अस्थाई पंजीयन हेतु पुस्तिका भी जारी नहीं की जावेगी।

4. ऐसे प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालय जिनमें पंजीयन कार्य हेतु 'वाहन 1.0' सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है वहां पंजीयन अधिकारी के रुप में कार्य प्रारंभ करने हेतु अधिकृत वाहन विक्रेताओं को विभागीय सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवाया जावेगा। उक्त सॉफ्टवेयर एवं अधिकृत वाहन विक्रेता के स्तर पर सॉफ्टवेयर को क्रियान्वित करने का प्रशिक्षण सभी प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालयों के सूचना सहायकों को पूर्व में दिया जा चुका है।
5. ऐसे प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालय जिनमें पंजीयन कार्य हेतु 'वाहन 4.0' सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है वहां पंजीयन अधिकारी के रुप में कार्य प्रारंभ करने हेतु अधिकृत वाहन विक्रेताओं को 'वाहन 4.0' सॉफ्टवेयर का लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड संबंधित प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालय स्तर से जारी किया जावेगा। 'वाहन 4.0' में उक्त कार्य किये जाने के लिए कार्यालय के कार्मिकों को पूर्व में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

उक्त आदेशों की अक्षरक्षः पालना सुनिश्चित की जावे। आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

(अभय कुमार)
प्रमुख शासन सचिव
एवं परिवहन आयुक्त

क्रमांकः प.7 (199) परि/नियम/गु./2009/39706-711 जयपुर, 21/07/17

दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. विशिष्ठ सहायक,/ माननीय परिवहन मंत्री महोदय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण, परिवहन मुख्यालय, जयपुर।
4. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
5. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड़ करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

office_order_DLRs Final 3.7.17

संलग्नक–1

(डीलर के पंजीयन अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप)
(राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1950 के नियम 4.1 के उपनियम (2) के अन्तर्गत)
(आवेदन जिला परिवहन अधिकारी के माध्यम से)

सेवा में,
परिवहन आयुक्त,
परिवहन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

मै/मैं. .... मोटर वाहन डीलर के रूप में कार्यरत हूँ। राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1950 के नियम 4.1 के उप नियम (2) के तहत् पंजीयन अधिकारी के रूप में अधिकृत किये जाने के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं।

(1) आवेदक का नाम व पताः–

(2) आवेदक कम्पनी का स्टेटस :–

कम्पनी

भागीदार फर्म

प्रोपराईटर फर्म

अन्य

(3) निर्माता का विवरण जिसका अधिकृत डीलर है।

(1) निर्माता का नाम

(2) वाहनों की श्रेणी (दुपहिया/चारपहिया)

(4) डीलर का अनुभव/डीलर के रूप में कार्य करने की तिथि

(5) विभाग द्वारा जारी ट्रेड सर्टिफिकेट का ब्यौरा :–

(1) नम्बर

(2) प्रथम बार ट्रेड सर्टिफिकेट जारी करने की तिथि

(3) वैधता तिथि

(4) अधिकारी का पदनाम जिसके द्वारा किया गया है।

(5) वाहनों की श्रेणी जिसके लिए ट्रेड सर्टिफिकेट जारी किया गया है।

(6) ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिन्हें डीलर पंजीयन अधिकारी के रूप में नियुक्त करना चाहता है।

(1) नाम :–

पिता का नाम :–

पूर्ण योग्यता :–

कम्पनी / भागीदारी फर्म / प्रोपराईटर फर्म में उपरोक्त व्यक्ति का स्टेटस

नमूना हस्ताक्षर :–

(2) नाम :–

पिता का नाम :–

पूर्ण योग्यता :–

कम्पनी / भागीदारी फर्म / प्रोपराईटर फर्म में उपरोक्त व्यक्ति का स्टेटस

नमूना हस्ताक्षर :–

घोषणा

मैं / हम घोषणा हूँ / करते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा पंजीयन अधिकारी के रूप में अधिकृत होने पर मैं / हम विभाग द्वारा निर्धारित निबन्धन एवं शर्तों की अनुपालना करूँगा ? करेंगे तथा इन अधिकारों का प्रयोग मेरे / हमारे द्वारा नियम संगत एवं सत्य निष्ठा किया जायेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :–

तारीख :–

(जो लागू न हो उसे काट दे)

प्रमाण–पत्र

डीलर द्वारा आवेदन फार्म पर उपलब्ध कराई गई जानकारी सत्यापित की जाती है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त जानकारी सही है।

जिला परिवहन अधिकारी के हस्ताक्षर

मय सील